I/68456/2022

संख्या–684/XXXIV-2/2022/04/2021

प्रेषक,

शैलेश बगोली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद(यू–कॉस्ट)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुभाग–2 देहरादून: दिनांक: 07 अक्टूबर सितम्बर, 2022

विषय:– वित्तीय वर्ष 2022–23 में साइंस सिटी देहरादून परियोजना हेतु धनराशि(राज्यांश) की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद(यू–कॉस्ट) के पत्र संख्या–21369/वि0प्रौ0प0/साइंस सिटी/021–22 दिनांक 04 जुलाई, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022–23 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–23 के लेखाशीर्षक–4859–02–004–01 साइंस सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु मानक मद–55(पूंजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान) में राज्यांश हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 15.00 करोड़ के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 15.00 करोड़ (रू0 पंद्रह करोड़ मात्र) को नियमानुसार निम्न शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अ– उक्त धनराशि का व्यय/उपयोग साइंस सिटी परियोजना, देहरादून हेतु राज्यांश के सापेक्ष केन्द्रांश प्राप्त होने के उपरांत ही किया जायेगा।

ब– निर्वतन पर रखी गयी उक्त राज्यांश की धनराशि का व्यय/उपयोग उत्तराखण्ड राज्य अधिप्राप्ति नियमावली–2008 व 2017 एवं केन्द्र सरकार की ओर से NCSM व राज्य सरकार की ओर से यू–कॉस्ट के मध्य सम्पन्न समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

स– बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण वितरण अधिकारी को इस प्रतिबंध के साथ उपलब्ध करा दी जायेगी कि इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जाय।

द– बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित वाउचर संख्या एंव दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 05 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

य– प्रत्येक दशा में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जाय और जाय और मितव्ययता के संबंध में योजना बना ली जाए। तद्नुसार प्रत्येक मद के संबंध में प्राविधानित/आवंटित धनराशि के सापेक्ष बजट का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बजट सुनिश्चित किया जाय। मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों एवं एवं तद्विषयक आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

RSC. [signature]

No. 8702 Date 14/10/22

Print Date : 25-Mar-202

/68456/2022

र– धनराशि को व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

ल– किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–01 (वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–01 (लेखा नियम) आय–व्ययक से सम्बन्धित नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

व–प्रश्नगत् धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2022 तक कर लिया जाय अन्यथा धनराशि को तत्काल समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

2– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022–23 के आय–व्ययक में अनुदान अनुदान संख्या–23 के **लेखाशीर्षक–4859–02–004–01 सांइस सिटी एवं विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हेतु मानक मद–55(पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान)** लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या– 391 दिनांक 24 जून, 2022 में के कम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–ऑनलाईन बजट आई0डी0

भवदीय,
Signed by Shailesh
Bagauli
Date: 07-10-2022 10:19:19
(शैलेश बगोली)
सचिव

संख्या– / 04/XXXIV-2/2021, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, देहरादून ।
4. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. बजट अधिकारी साईवर कोषागार, देहरादून।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5 / नियोजन विभाग / एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(रजनीश जैन)
उप सचिव